लाइसेन्स सं०—डब्लू०पी०—41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिना प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 नवम्बर, 2019 ई० (अग्रहायण 2, 1941 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, लखनऊ

22 नवम्बर, 2019 ई०

सं0 337/पर्या0अभि0/2019—लखनऊ नगर निगम द्वारा प्रस्तावित कोटपा के अन्तर्गत तम्बाकू विक्रेताओं को तम्बाकू उत्पाद लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु उपविधि, 2018 के प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध एवं मा0 सदन के संकल्प संख्या 72 दिनांक 19 सितम्बर, 2019 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 437, 438(1), 438घ(2), 541, 542 एवं 543 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर/निगम अधिनियम की धारा 541 (20) के अन्तर्गत उपविधि, 2018 का पांडुलेख (ड्राफ्ट) तैयार कर सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उपविधि, 2018 के पांडुलेख पर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुये धारा 542 के अन्तर्गत मा0 सदन नगर निगम, लखनऊ द्वारा पारित संकल्प संख्या 72 दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को सर्वसम्मति से पास करते हुये उपविधि, 2018 का प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में निम्नानुसार कराया जाता है—

—संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

(1) यह उपविधि लखनऊ नगर निगम (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि, 2019 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम, लखनऊ के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

—तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिये योग्यता—

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

(3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है, लखनऊ से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।

(4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिये।

(5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थायी हो।

(6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकान हो सकती है।

—वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क—

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रु0 200.00 स्थायी दुकानों हेतु रु0 1,000.00 एवं थोक स्थायी दुकानदारों के लिये रु0 5,000.00 होगा।

(2) एक वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिये रु0 5,000.00 फुटकर स्थायी विक्रेताओं के लिये रु0 200.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रु0 100.00 होगा।

(3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

-तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालन–

पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा–

(1) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि मे कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित न जायेगी।

(2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अन्तर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा।

(3) तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6-अ के अनुसार नाबालिग तम्बाकू उत्पाद न तो बिक्री और न ही नाबालिग द्वारा बिक्री की जायेगी।

(4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

-नियम एवं शर्तें–

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा। तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीन राना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के तम्बाकू उत्पाद नही बेचे जायेंगे।

(2) पंजीकृत दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

(3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। दिया गया लाइसेंस अस्थानान्तरणीय होगा।

(4) एक लाइसेंस एक दुकान के लिये ही मान्य होगा।

(5) किन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर थवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा-निर्दे नुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।

(6) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धार इले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दे दी जायेगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगम खनऊ द्वारा निलंबन कार्यवाही की जायेगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दशा में लाइसेंस रद्द कि कता है। एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नही किया जायेगा।

(7) तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल माल, थोक बाजार, बिग ेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी स मी, जो गुमटी लगाते हैं। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रु० 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूस 0 5,000.00 व सामग्री जब्त, तीसरी बार रु० 5,000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाइसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं रकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिक्री करेगा।

-पंजीकरण प्रक्रिया–

(1) नगर निगम, लखनऊ में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बंधन और श नुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के संबंध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, ज गर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम, लखनऊ के द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म संख्या 22 पर ावेदन करना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जांचोपरान्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

(5) प्रमाण-पत्र पर नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण-पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के संदर्भ में नगर निगम, लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

–नामित अधिकारी–

नगर निगम, लखनऊ में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के ानुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने हेतु पर्यावरण अभियन्ता प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी ाधिकारी के रूप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बन्धन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य-ि ानुज्ञापित लाइसेन्स जारी करेंगे जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

–वेंडर लाइसेंस लागू करने की समयावधि–

पंजीकरण प्रणाली नगर निगम, लखनऊ के माननीय सदन में प्रेषित होने के बाद तत्काल प्रभाव से ल ायेगी।

ह० (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

नगर निगम लखनऊ
खुदरा तम्बाकू विक्रय के लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

1 नाम : ....

2 पिता/पति का नाम : ....

3 जन्मतिथि : ....

4 योग्यता : ....

5 निवास स्थान : ....

6 आधार कार्ड नबंर : ....

7 विक्रय केन्द्र हेतु प्रस्तावित जगह : ....

8 लाइसेंस जारी करने का वर्ष : ....

9 प्रस्तावित दुकान की स्कूल से दूरी : ....

–: घोषणा :–

मैं. .... पुत्र .... घोषणा करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सभी जानकारियां सत्य है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

प्रार्थी का हस्ताक्षर

दिनांक : ....

....

स्थान : ....

प्रार्थी का पता

....

मोबाइल नं0